कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस

14 सितंबर, 2025

आप सभी को "हिन्दी दिवस" 14 सितंबर, 2025 की हार्दिक शुभकामनाएँ।

हमारा देश भारत संस्कृति और भाषा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस संपन्नता के आधार पर ही हम सम्पूर्ण विश्व में अतुलनीय और अद्वितीय दिखाई देते हैं और यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया है, जिसमें वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की सभी भाषाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण और आदरणीय हैं। यद्यपि सत्य यह भी है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिन्दी ने जनमानस के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि **"जो भाषा भारत के दिलों पर राज करती है, वह भाषा हिन्दी है।"**

हम सभी जानते हैं कि देश की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को पूरे उत्साह के साथ हिन्दी दिवस मनाया जाता है। दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 26.01.2004 से प्रभावी हो चुका है, जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अतः सरकारी कार्यों में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करना हम सभी का वैधानिक उत्तरदायित्व भी है।

जिला न्यायालय दिल्ली में विगत वर्षों में राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रति हमारे अधिकारियों व कर्मचारियों में काफी जागरूकता बढी है, परन्तु कार्यप्रणाली में हिन्दी के प्रयोग को सुगमता से लागू करने के लिए अभी और अधिक प्रयास किए जाने शेष हैं। न्यायालय का कार्य प्रत्यक्ष रूप से सामान्य वादियों व प्रतिवादियों से जुड़ा हुआ है और यह हमारा दायित्व है कि हम उन्हें उनकी सरल व सुबोध भाषा हिन्दी में हर संभव सुविधा प्रदान करें।

आइए इस शुभ अवसर पर हम प्रण लें कि हम अपने कार्यों को करते हुए सरल और सहज हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे।

जय हिन्द ।

अदिति चौधरी

(अदिती चौधरी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम)
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

04-09-2025

(वीरेन्द्र कुमार बंसल)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 35163 - 35513 /हिन्दी/संदेश/238/2025

दिल्ली, दिनांक 08 SEP 2025

संदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त माननीय वि. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/नई दिल्ली, <u>इस अनुरोध सहित कि उक्त संदेश को अपने संबंधित न्यायिक जिले में परिचालित करवाने का कष्ट करें।</u>
2. श्री मुकेश कुमार गुप्ता, वि. जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), केन्द्रीय जिला एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली, श्री धर्मेन्द्र राणा, जिला न्यायाधीश-01, नई दिल्ली जिला एवं केन्द्रीय समन्वयक/सदस्य, के.हि.का.समिति, श्री हेम राज, वि. न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय) उत्तर-पश्चिम जिला एवं सदस्य, के.हि.का.समिति, सुश्री रूची अग्रवाल असरानी, वि. विशेष न्यायाधीश, पी.सी.एक्ट (एसीबी-02), राउज एवेन्यू न्यायालय व सदस्य के.हि.का.समिति तथा सुश्री नीति सूरी मिश्रा, वि. अति. सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पश्चिम व सदस्य के.हि.का.समिति।
3. समस्त वि. न्यायिक अधिकारीगण, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. वि. प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त वरि. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. सभी नोडल अधिकारी व लिंक नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, राजभाषा हिन्दी अनुभाग (समस्त जिले) दिल्ली/नई दिल्ली।
7. समस्त न्यायिक जिलों में स्थापित राजभाषा हिन्दी अनुभागों के प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, दिल्ली/नई दिल्ली. इस निर्देश सहित कि उक्त संदेश को अपने संबंधित जिले में परिचालित(सर्कुलेट) करवाने संबंधित कार्यवाही करें।
8. कार्यालयाध्यक्ष, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, सी-विंग, सातवां, तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।।
9. वेबसाइट समिति, जिला न्यायालय, तीस हजारी, दिल्ली।

नोटः- कृप्या अपने नियंत्रणाधीन व अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को उक्त संदेश से अवगत करवाएँ।

अध्यक्ष/केन्द्रीय समन्वयक
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति
जिला न्यायालय, दिल्ली।